(3)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)
आ दे श
अनुमति वाद (Permission) सं0–81/2023–24
सिरिल असुर वगै0–बनाम–मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0

20.07.24

आवेदक 1. सिरिल असुर पिता–स्व0 जोहन असुर 2. मगदली टोप्पो पति–स्व0 सिलास बेग मौजा–बरपाठ थाना–विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि को पथरीली होने एवं उपज नहीं होने के कारण मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0 को 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए लीज में देने हेतु अनुमति के निमित्त आवेदन देकर अनुरोध किए हैं।

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	गुरदरी	40	109	3037 (P)	2.59
				3038 (P)	1.28
				3108 (P)	1.70

5.57 ए0

आवेदन पर सुनवाई दिनांक – 28.08.2023 को प्रारंभ करते हुए आम नोटिस निर्गत करने के साथ संबंधित अंचल अधिकारी, विशुनपुर से वर्णित भूमि व विषय के परिप्रेक्ष्य में जॉच–प्रतिवेदन, मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी, विशुनपुर का जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक – 1081/वि0, दिनांक – 29.08.2023 के आलोक में प्राप्त व अभिलेख में संधारित है, जो निम्न अनुसार है :–

प्रतिवेदनानुसार –

–: लीज हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
गुरदरी	109	3037 (P)	2.59 ए0
		3038 (P)	1.28 ए0
		3108 (P)	1.70 ए0

जमाबंदी संख्या – 109

जमाबंदीदार का नाम – छोया असुर पिता–मंगरा असुर

आवेदित भूमि का कुल रकबा – 5.57 ए0

भूमि का किस्म – टांड II

भूमि का न्यूनतम बिक्री मूल्य निबधन दर तालिका के आधार पर – 2,21,600.00 रू0 प्रति एकड

लीज देने के पश्चात् आवेदक/आवेदकों की शेष भूमि – 41.81 ए0

अंचल अधिकारी, विशुनपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि के आवेदक, खतियानी रैयत के पोता है।

आवेदक/आवेदकों का ब्यान मो0 अनीस प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा गुमला

द्वारा दिनांक–18.05.2024 को लिया गया। आवेदक ने अपने ब्यान में कहा है कि वे अपने स्वेच्छा एवं सहमति से अपने हिस्से की जमीन कंपनी को दे रहे हैं। आवेदकों द्वारा बयान में बताया गया कि अपने अपने हिस्से की भूमि को 20 वर्षो के लिए बॉक्साईड खनन हेतु लीज में देना चाहता हूँ। इसके एवज में मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा उचित मुआवजा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, का सम्पूर्ण व्यवस्था करेगी तथा नजदीक के स्कूलो में मूलभूत सुविधा प्रदान करेगी, खनन के उपरान्त उपरोक्त भूमि को समतलीकरण कर वापस कर देगी, उक्त भूमि को लीज में कंपनी को देने के उपरान्त उनके पास जीवन यापन करने के लिए प्रर्याप्त भूमि अवशेष रहेगी।

मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0 के साथ हुए रजिस्टर्ड दस्तावेज (फार्म ''के'') Indenture में गुमला जिला अंतर्गत् कुल 05 ग्रामों (गुरदरी, अम्बाकोना ,कुजाम जनावल एवं राजाडेरा) को बॉक्साईड खनन हेतु डीड (सं0 – 326, दिनांक – 18.04.2017) में सम्मलित किया गया है। उक्त खनन् पट्टा की वैद्यता दिनांक – 22.03.2035 तक निर्धारित है। कंपनी की ओर से रैयतों के माँगों के संदर्भ मे आवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार – कंपनी रैयतों के भूमि को लीज पश्चात् समतलीकरण कर वापस करने, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुआवजा राशि को स्वीकृत करने, रैयतों के परिवार में किसी एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नियोजित करने, सी0 एस0 आर0 गतिविधि अंतर्गत् शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति दिए हैं। उनके द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि कंपनी के पास Valid E.C. (No. – J-11015/136/2006-IA.II(M), Dated – 07-02-2007, Ministry of Environment and Forests, Govt. Of India) है तथा यह लीज Captive Lease है, जो रेणुकूट एवं मुरी पलान्ट के लिए है तथा प्रस्तावित भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

CNT Act 1908 की Section 49 Subsection (4) के अनुसार Before Consenting to any such transfer, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that [adequate compensation is tendered to landlord for the loss (if any) caused to him by the transfer] and where only part of a holding or tenure is transferred may if he thinks fit apportion, between the transferee and the original tenant the rent payable for the holding or tenure.

अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि पर रैयतों को होने वाली हानि के एवज में पर्याप्त प्रतिकर के रुप में निम्नाकिंत शर्तो का पालन किया जाय।

(क) यह अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत लीज अवधि तक के लिए होगा।

(ख) कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लीज में उपयोग किए जाने के निर्धारित समयावधि के पश्चात् भूमि को कृषि योग्य व समतलीकरण कर संबंधित रैयतों (आवेदकों) को वापस की जाएगी।

(ग) मुआवजा की राशि आवेदक के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर जमा करना है। राशि हस्तांतरण के पश्चात् ही जिला अवर निबंधक, गुमला द्वारा लीज हेतु भूमि का निबंधन किया जाएगा।

(घ) कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध करॉएगे। इसके अतिरिक्त,कंपनी सी0एस0आर0 गतिविधियों के अंतर्गत् आच्छादित कार्य के तहत संबंधित रैयतो को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण, उत्तम बीज, बाजार की व्यवस्था भी कराएँगे। साथ ही, खनन् क्षेत्रों में भारी ट्रकों, डंफरो व अन्य खनन् संयत्रों के अनवरत रूप से आने–जाने के क्रम में सडकों को होने वाली क्षति को समय–समय पर मरम्मति कराकर अच्छी स्थिति मे संधारित रखना भी सुनिश्चित करेगे, ताकि ग्रामीणो के सामान्य आवागमन एवं अन्य दैनिक गतिविधियो पर कोई

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पाट क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज्यादा गंभीर है, उक्त को ध्यान में रखकर कंपनी की ओर से उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आवश्यक पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएँगे, तथा इस कार्य को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए स्थानीय सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं से भी यथोचित समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही रैयतों के बेरोजगार व्यस्क बच्चों को कौशल विकास के तहत् प्रशिक्षित कराते हुए उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेगें।

(ङ) लीज भूमि को खनन कार्य समाप्त या लीज अवधि समाप्ति में जो पहले हो, के आधार पर प्रश्नगत भूमि रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) को वापस करना होगा।

(च) यदि, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक/आवेदकों का मकान अवस्थित है, तो उक्त भू-खंड पर लीज कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी को यथोचित स्थल पर उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।

(छ) कंपनी प्रस्तावित भूमि पर लीज कार्य प्रारंभ करने के क्रम में रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) के परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को उनके योग्यता एवं क्षमता के आधार पर नियोजित करेगी। यदि कंपनी ठेकेदार द्वारा खनन कार्य कराती हैं, तो संबंधितों को नियोजित कराने का दायित्त्व कंपनी के ऊपर होगा।

(ज) प्रभावित रैयतों के बच्चों को निःशुल्क 12 वी कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध करायेगें।

(झ) मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा निबंधन के पश्चात् रैयतों को भुगतान की गई राशि का प्राप्ति रसीद, न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) उक्त भूमि मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि0 के बॉक्साइट खनन् एवं तत्संबद्ध कार्य (Allied Activities) के उपयोग में लाया जायेगा।

(ट) उपरोक्त भू-खण्ड का भविष्य में किसी अन्य को हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा।

(ठ) प्रश्नगत भूमि पर खनन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त भूमि को समतलीकरण कर आवेदकों को भूमि वापसी से सबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी से सत्यापन कराकर न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ड) अंचल अधिकारी, विशुनपुर के जॉच-प्रतिवेदन व जिला अवर निबंधक, गुमला के पत्रांक – 329, दिनांक – 12.08.2023 द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राप्त निबंधन दर एवं आवेदकों की मॉग को ध्यान में रखकर प्रश्नगत भूमि का निबंधन दर के आधार पर बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत वृद्धि करने के उपरान्त भूमि का न्यूनतम् निर्धारित मूल्य 3,32,400.00 (तीन लाख बतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रति एकड निर्धारित किया जाता है। प्रतिवेदित भूमि को लीज में देने की अनुमति अंचल अधिकारी, विशुनपुर की अनुशंसा एवं सरकार व कंपनी के बीच हुए लिखित एकरारनामा में तय बंधेजों व निर्देशों के अनुरुप किया जाय।

(ण) कंपनी, नियोजित व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा बॉक्साईट खनन कार्य हेतु निर्धारित न्यूनत्तम मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि – 1952 के अंतर्गत् देय पी0 एफ0 अंशदान एवं बोनस भुगतान अधिनियम –1965 के अधीन देय बोनस के साथ दुर्घटना की स्थिति में Workmen Compensation Act- 1926, Gratuity Act – 1972 आदि विधिक देय के अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन् कार्य के क्रम में सभी मानक सुरक्षा उपायो का भी संधारण कपंनी द्वारा किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 16:58:06 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner